संख्या–1849 /60–3–2015–34(सा0)/15

प्रेषक,

नन्दलाल प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/विहित प्राधिकारी उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 07 दिसम्बर, 2015

विषयः– उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–706/म0क0निदे0/कम्प्यू0सेल/2015–16 दिनांक 30.11.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के मानदेय की धनराशि में बढ़ोत्तरी किये जाने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के राजकीय चिकित्साधिकारियों स्तरीय एवं राजकीय मेडिकल कालेजों के नोडल चिकित्साधिकारियों को एसिड अटैक एवं यौनिक हिंसा से पीड़ित महिलाओं के मेडिको लीगल विषय पर प्रशिक्षित करने हेतु मण्डल स्तरीय प्रशिक्षण सम्प्रति प्रस्तावित है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु चिकित्सा विभाग/गृह विभाग/एन0आई0सी0 द्वारा नामित रिसोर्स परसन के रूप में क्रमशः डा0 श्याम बिहारी उपाध्याय, निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ; डा0 एच0 के0 अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय तथा डा0 आर0एच0 खान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र तथा एन0आई0सी0, मुख्यालय, लखनऊ के अधिकारीगण की सेवायें प्राप्त की जानी है। इन वक्ताओं को प्रशिक्षण मद में प्रति सत्र सम्प्रति अनुमन्य मानदेय रू0–500/– की धनराशि को बढ़ाकर रू0–3000/– की धनराशि निर्धारित की जाती है।

कृपया उपर्युक्तानुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

Sri Tandan/Go

<u>संख्या– 1849 (1)/60–3–15 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, गृह/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, महिला कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र तथा एन0आई0सी0, मुख्यालय, लखनऊ
6. कम्प्यूटर सेल, निदेशालय महिला कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट/कोष की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. कोष कार्यालय, चतुर्थ–तल, योजना भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)

उप सचिव।

Sri Tandan/Go